

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-135

दिनांक: 19/4/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की  
बैठक..13वीं....दिनांक...15-4-2002 का  
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं०.13वीं  
दिनांक..15-4-2002 प्रातः/समय: 9:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त  
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर  
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

1. विषय: - सीकर रोड़ विजयबाड़ी योजना पथ नं० 7 में संशोधन करने के संबंध में {जोन बी-3} :-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों एवं मौके की स्थिति पर सर्वे मानचित्र एवं उसमें दर्शायी गयी निर्मित भवनों की स्थिति का अवलोकन कर विचार-विमर्श पश्चात् सैक्टर रोड़ की चौड़ाई पूर्व में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए 40' रखने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 15-4-02...  
का कार्यवाही विवरण।

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | दो फोरेस्ट व्यू गृह नं० 10स०स०          |
| 2. योजना का नाम                            | : | बाबा नाहर सिंह कॉलोनी                   |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | : | ख० नं० 495, 496, 497 ग्राम छो नागो रिया |
| 4. सेक्टर नंबर                             | : |   |

जोनल लेबल(जोन संख्या.....C-2.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार गौनेर रोड़ की चौड़ाई 200-0" निर्धारित है जबकि मौके पर इस सड़क की चौड़ाई 80-0" ही उपलब्ध है इसलिए इस सड़क में आने वाले व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 से 22 पूर्ण रूप से तथा आवासीय भूखण्ड संख्या 1, 12, 13, 14, 15 को आंशिक अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- भूखण्ड संख्या 9, 22 से 27 व 15, 16 में से 60-0" चौड़ी सड़क हेतु भूमि मौके को स्थिति के अनुसार ली जावे ।
- 4- भूखण्ड संख्या 9 व 23 में सैट बैक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 5- भूखण्ड संख्या 13 व 22 के मध्य की सड़क मौके पर 21'-6" चौड़ी ही उपलब्ध है इस सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 15-4-02  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : बाल नगर बूबो के अनुमोदन के सम्बन्ध में
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : स० नं० 550 ग्राम खो नागो रियान
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....?) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- योजना के दृक्षण में मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार गौनेर रोड़ 200-0" चौड़ी निर्धारित है । मौके पर यह सड़क 80-0" चौड़ी ही उपलब्ध है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 100-0" की दूरी में आने वाले व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 से 14 व आवासीय भूखण्ड संख्या 17 पूर्ण व भूखण्ड संख्या 1 को आंशिक अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- योजना के अन्दर को 20-0" चौड़ी सड़को को 30-0" चौड़ी को जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 15-4-02.....  
का कार्यवाही विवरण।

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | हथरोई गढ़ी गृ० नि० स० स०            |
| 2. योजना का नाम                            | : बाल नगर एफ०                       |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | : ख० नं० 531 से 535, 537, 538 ग्राम |
| 4. सैक्टर नंबर                             | : धो नागो रियान                     |

जोनल लेबल(जोन संख्या.....C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।

विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरोक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 15-4-02....  
का कार्यवाही विवरण।

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | हथरोई गढ़ी गृ० नि० स० स०              |
| 2. योजना का नाम                            | : बाल नगर {एच}                        |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | : ख० नं० 131, 135, 137, 138, 142, 143 |
| 4. सैक्टर नंबर                             | : ग्राम पालड़ी मीणा ।                 |

जोनल लेबल(जोन संख्या....C...?) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।  
विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक: 15-4-02....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : भेरव नगर गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : गुरु वाटिका
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : ख० नं० 76 ग्राम पालड़ी मोणा ।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....C:-2....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 15-4-02...  
का कार्यवाही विवरण।

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | हथरोई गढ़ी गृ० न० 0स० 0स०                |
| 2. योजना का नाम                            | : | खण्डेलवाल नगर विस्तार                    |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | : | ख० नं० 243 से 248, 250, 251, 252, 270 से |
| 4. सेक्टर नंबर                             | : | 272 ग्राम पालड़ी मोणा ।                  |

जोन्ल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1- उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।  
तथा निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल में आवासीय से भू-उपयोग परिवर्तन को कार्यवाही को जावे ।
- 2- पालड़ी मोणा ४एम४ ब्लाक में आती हुई 100'-0" चौड़ी सड़क योजना के दिक्षण में से गुजरती है इसलिए इस सड़क में आने वाली भू खण्ड संख्या 35, 34, 34ए को पूर्ण रूप से तथा भूखण्ड संख्या 36 व 33 को आंशिक रूप से अस्वीकृत किया जावे ।
- 3- योजना के मध्य में भूखण्ड संख्या 22 व 43, 1 व 8 के मध्य की सड़क को 30'-0" से 40' चौड़ी को जावे ।
- 4- व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 से 14 को निरस्त किया जावे ।
- 5- आवासीय क्षेत्रफल 60% किए जाने हेतु भूखण्ड संख्या 12 से 16 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 15-4-02...  
का कार्यवाही विवरण।

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | सहकारी मित्र गृ०नि०स०स०                    |
| 2. | योजना का नाम                            | पृथ्वी राज नगर की दुकान सं० 1 से 12 को     |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | आवासीय भूखण्ड के परिवर्तन के सम्बन्ध में । |
| 4. | सेक्टर नंबर                             |  |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक..15-4-02.....  
का कार्यवाही विवरण।

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | श्रीमति चन्द्र कान्ता पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं संजय सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह |
| 2. | योजना का नाम                            | :  |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | :ख.नं० 2 दुर्गा वाटिका को वाणिज्यिक  |
| 4. | सेक्टर नंबर                             | :उपयोग के निम्नोत्तरण के सम्बन्ध में ।   |

जोन्ले लेबल(जोन संख्या...B-4....) समिती की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् प्रार्थी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करवाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 15-4-02...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री चौधुराम की भूमि
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : ख.नं. 11, 12 ग्राम उदयपुर गोलारिया के
4. सैक्टर नंबर : फार्म हाउस उप विभाजन के अनुमोदन

जोनल लेबल(जोन संख्या... 2... 2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। पूर्व की बैठक में लिए गये निर्णय को अनुपालना में खातेदार ने संशोधित फार्म हाउस के उपविभाजन के मानचित्र प्रस्तुत किए जिसमें मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 160-0" चौड़ी सड़क में आने वाली 552.43 व.मो. भूमि समर्पित की हुई भूमि उप विभाजन मानचित्र में दर्शाया हुआ है। तथा 3 भूखण्ड 3000 व.मो. क्षेत्रफल के आधार पर दर्शाये है। भूखण्ड संख्या 2 व 3 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 9.00 मो. दर्शाया है। विचार-विमर्श पश्चात् फार्म हाउस के उप विभाजन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।



कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 15.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

5. महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना राधा विहार के अनुमोदन के संबंध में।
6. गणपती गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना राधा विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 9.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-
  4. योजना का भू उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में किया जावे।
  5. दुकान सुख्या 1 से 16 को अस्वीकृत किया गया।
  6. योजना का निर्माण 10 प्रतिशत से कम है अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में योजना को अंतिम अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
  7. भूखण्ड संख्या 1 से 14, 62, 63, 84, 85, 86, 124, 125, 126 लो टेशन लाईन से प्रभावित है। लो टेशन लाईन शिफ्ट किये जाने के पश्चात ही निर्माण किया जावेगा, कि शर्त के साथ पट्टे जारी किये जावे।
  8. भूखण्ड संख्या 51, 53, 94 को सुविधा क्षेत्र में रखा जावे एवं उक्त भूखण्डों के स्थान पर भूखण्ड संख्या 111 के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित सुविधा में समायोजित किया जावे।
2. गणपती गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 6.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया की :-

200' चौड़ी रोड एवं प्लान्टेशन कोरीडोर (50' दोनो ओर) दशांति हुए 60:40 के अनुपात में आवेदक से सुविधा क्षेत्र समुचित स्थान क्षेत्रफल रखते हुए योजना में अंकित भूखण्डों को समायोजित करते हुए समिति से संशोधित मानचित्र मांगा जावे।

  
वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)